

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 338 सन 2022

अनवान :-

1. सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- /18/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की वादी के नाम रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 290/287 की कुल 3.4900हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा के स्थान पर सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया।

तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष- 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 290/287 की कुल 3.4900हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केरीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है वादीया का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 290/287 की कुल 3.4900हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा दर्ज किया गया है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत के स्थान पर सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत होना प्रतित होता है वादी ने अपने नाम के सम्बन्ध में जाती प्रमाण पत्र, अन्य खाते की जमाबन्दी सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक पेश की गई प्रस्तुत दस्तावेजात / शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम संशोधन किया जा सकता है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र / सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत / वादी के शपथ पत्र/सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक/ पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 290/287 की कुल 3.4900हैक् भूमि में वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा अंकित है के स्थान पर सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

पर्चा डिक्री/आदेश आज दिनांक 18/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट.....

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 338 सन 2022 निर्णय दिनांक-18/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान - वर्ष 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 290/287 की कुल 3.4900हैक् भूमि में वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा अंकित है के स्थान पर सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग पर्चा डिक्री/आदेश आज दिनांक 18/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022

कैम्प कोर्ट.....

उपखण्ड अधिकारी
नोहर